फाइल नं0-71-3002(002)/9/2023-03

62/2026/I/1267341/2026

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट तथा जे0के0 इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च, कानपुर में मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/522, दिनांक 03.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट तथा जे0के0 इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च, कानपुर में मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र के अनुसार गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से (मानक मद-58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान) में रू0 57.00 लाख तथा जे0के0 इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च, कानपुर हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से (मानक मद-58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान) में रू0 27.00 लाख, इस प्रकार कुल प्राविधानित धनराशि रू0 84.00 लाख (रूपये चौरासी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-.

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) संबंधित निदेशक द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग निदेशक द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) अगर प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए निदेशक स्वंय उत्तरदायी होंगे।

(5) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाये।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 57,00,000 (रुपये सत्तावन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050344 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इन्स्टीट्यूट **मानक मद** 58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान (*2*) रुपये 27,00,000 (रुपये सत्ताईस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050501 जे.के.इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर **मानक मद** 58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या-उपरोक्त, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, कानपुर।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in